राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

लहसुन प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन

राज्य में लहसुन मुख्यतः झुन्झुनू, जोधपुर, कोटा, बारां, बून्दी, झालावाड, प्रतापगढ, चित्तौड्गढ़ व राजसमंद में उगाया जाता है। प्रदेश में करीब 32000 हैक्टेयर क्षेत्र में लहसुन की खेती होती है, जिसका 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र हाड़ौती अंचल में है। लहसुन एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है, जिसका उपयोग भोजन को पोष्टिक, सुगन्धित व स्वादिष्ट बनाने के अतिरिक्त औषधियों व कीटनाशी के रूप में भी किया जाता है। इसे ताजा व सुखाकर उपयोग में लाया जाता है। एलीनेज इन्जाईम की किया द्वारा लहसुन में उपस्थित एलीन तत्व एलीसन में बदल कर तेज महक देता है। एलीसन जीवाणु नाशक भी है।

लहसुन से फलेक्स, पाउडर, पेस्ट, अचार, तेल, रस व कीटनाशी औषधी आदि तैयार किये जा सकते हैं। प्रसंस्करण हेतु लहसुन की कलियों को पृथक किया जाना आवश्यक है।

महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा लहसुन पृथक्कीकरण हेतु पृथक्कीकरण मशीन तैयार की है, जो 1 घण्टे में 800 किलो लहसुन की कली को पृथक-पृथक करने की क्षमता रखती है। इस मशीन से कलियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है और बुवाई हेतु बीज के रूप में भी काम लिया जा सकता है। मशीन से समय व लागत में भी बचत होती है। मशीन की क्षमता 96 प्रतिशत आंकी गई है। कली पृथक्कीकरण की लागत करीब 2.50 रूपये प्रति क्विंटल आती है, जबकि परम्परागत तरीके से रूपये 25.75 प्रति क्विंटल व्यय होता है।

लहसुन को सुखाने से पूर्व कलियों को पिचकाना जरूरी है। कृषि विश्वविद्यालय ने समय व लागत में बचत हेतु एक यंत्र विकसित किया है, जिसकी क्षमता 420 किलो प्रति घण्टा है, जिसे बिजली से भी चलाया जा सकता है। यंत्र की दक्षता 82-87 प्रतिशत है।

लहसुन के शुष्कन/निर्जलीकरण हेतु ट्रलन ड्रायर, सोलर ड्रायर तथा गर्म हवा वाले ड्रायर को काम में लिया जाता है। निर्जलीकरण के बाद फ्लैक्स को पीसकर पाउडर बनाया जाता है। पाउडर में नमी 6.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक नमी से लहसुन पाउडर खराब हो सकता है। एक किलो लहसुन पाउडर बनाने हेतु 3.0 से 3.5 कि.ग्रा. ताजा लहसुन की आवश्यकता होती है। पाउडर को टीन के डिब्बों, पाउच, या उच्च घनत्व वाली पोलोथीन की थैलियों या फार्टल लेमीनेटेड ड्रम में भर देते हैं।

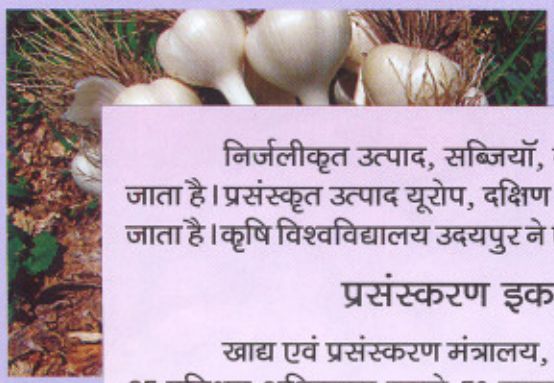

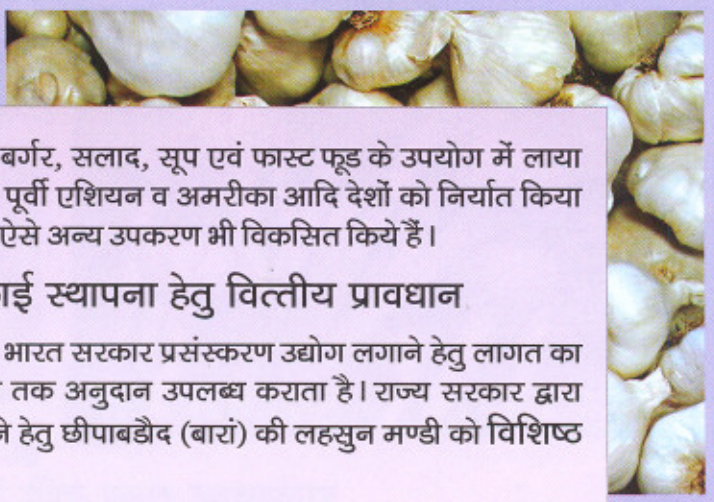

निर्जलीकृत उत्पाद, सब्जियाँ, बर्गर, सलाद, सूप एवं फास्ट फूड के उपयोग में लाया जाता है। प्रसंस्कृत उत्पाद यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशियन व अमरीका आदि देशों को निर्यात किया जाता है। कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर ने ऐसे अन्य उपकरण भी विकसित किये हैं।

प्रसंस्करण इकाई स्थापना हेतु वित्तीय प्रावधान

खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 50 लाख तक अनुदान उपलब्ध कराता है। राज्य सरकार द्वारा लहसुन के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु छीपाबडौद (बारां) की लहसुन मण्डी को विशिष्ठ लहसुन मण्डी घोषित किया है।

- कृषि उपज मण्डियों से लहसुन कय कर मण्डी में ही प्रसंस्करण करने हेतु कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति 2010 के तहत विशिष्ठ मण्डियों में 50 प्रतिशत तथा अन्य मण्डियों मे 25 प्रतिशत तक डी.एल.सी. दर में छूट देकर अनुसूचित व अनुसूचित जनजाती के प्रसंस्करण कर्ताओं को 50 प्रतिशत छूट पर भूःखण्ड उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
- नीति के अन्तर्गत निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु विदेशों में बाजार तलाशने के लिए नमूना भेजने पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 50 हजार प्रति नमूना प्रति निर्यातक प्रति देश अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- एपीडा, नई दिल्ली के साथ पंजीकृत निर्यातकों को पैकेजिंग, गुणवत्ता जाँच कराने व प्रयोगशाला स्थापित करने वालो को वित्तीय सहायता का प्रावधान है ।
- लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) के अन्तर्गत बैकों को स्वीकार्य परियोजनाओं को अधिकतम रूपये 50 लाख तक वेंचर केपीटल देने तथा रूपये 50 लाख से अधिक की परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने पर रूपये 25 हजार से एक लाख तक व्यय को पुनर्भरण करने का भी प्रावधान है।
- उद्यानिकी एवं कृषि जिन्सों के प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये एक करोड़, जो भी कम हो अनुदान हेतु उद्यान विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर से सम्पर्क कर सकते हैं। योजना का विस्तृत दिशा निर्देश उद्यान विभाग की वेबसाईट http://horticulture.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

अधिक जानकारी हेतु
डॉ0 एन.के. जैन तथा डॉ0 के.सी. शर्मा,
कृषि प्रौद्यौगिकी महाविद्यालय,उदयपुर
फोन नं. 0294-2470102

कृषि विपणन राजस्थान

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर दूरभाषः 0141–2227336 फैक्स : 0141–2227096
ई–मेल : rsamb@rajasthan.gov.in वेबसाइट : www.rsamb.rajasthan.gov.in

जनवरी 2014